



जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार अंतर्गत स्थाई लोक अदालत में सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक निर्देश :- नियोजन सूचना संख्या- 01/2023

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार के आदेश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार अंतर्गत स्थाई लोक अदालत के लिए नीचे वर्णित पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक आवेदक द्वारा स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक स्वअभिप्राप्ति पासपोर्ट साइज़ फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाकर अपने सभी शैक्षणिक / चरित्र प्रमाणपत्र की अभिप्राप्ति प्रति एवं स्वपता लिफाफा उचित डाक टिकट सहित संलग्न कर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार को निर्बंधित / स्पीड पोस्ट से विज्ञापन प्रकाशन से 21 दिनों के अंदर ही स्वीकार किये जाएंगे। देर से प्राप्त आवेदन तथा अधूरा / दोशपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता	अन्य अनिवार्य योग्यता
01	सफाईकर्मी (संविदा पर)	01	5200—20220/- ग्रेड पे 1300/-	साक्षर

सामान्य निर्देश -

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को सामान्य वर्ग के लिए 18—37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 18—40 वर्ष, महिला के लिए 18—42 वर्ष, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 18—45 वर्ष होना चाहिए।
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है एवं इसका मतलब यह नहीं है कि निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक को ही बुलावा पत्र भेजा जाएगा।
- अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
- यदि किसी भी तरह से यह पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं या उन्होंने गलत जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है तो ऐसी स्थिति में उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- सरकारी सेवा को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को अपना नाम रथानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा।
- आवेदन शुल्क—सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए रु 100—/ का पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट एवं ओबीसी/ एस0 टी0/ एस0 सी0 के लिए मात्र रु25/- का पोस्टल आर्डर/ बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार के पक्ष में देय होगा।
- अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण आवेदन अथवा अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार